# न्यायालय अपर समाहर्त्ता, राँची।

दाखिल खारिज रिभिजन वाद सं0 29 आर 15/07–08

कोंग्रेगेशन ऑड सिस्टर्स द लिटिल फ्लावर ऑफ बेथोनी कोनवेन्ट उलातु नामकुम

बनाम

अखलेश्वर प्रसाद श्रिवास्तव

---

आदेश

11/02/11

यह रिभिजनवाद उप समाहर्त्ता, भूमि सुधार सदर, राँची द्वारा दाखिल खारिज अपीलवाद सं0 25 आर 15/07–08 में पारित आदेश, दिनांक 16.10.2007 के विरूद्ध दायर किया गया है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा दायर कागजातों एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि इनके द्वारा व्यवहार न्यायालय में हक हकियत तथा दखल के लिये टाईटल सूट वाद सं0 169/2008 दायर किया गया है। वाद अभी विचाराधीन है। अतः सक्षम न्यायालय में वाद दायर किये जाने के बाद समानान्तर वाद जारी रखना न्याय की दृष्टि से उचित नहीं है।

इनका अनुरोध है कि न्यायिक दृष्टिकोण से इस रिभिजनवाद को स्वत्व वाद के अंतीम फैसला तक स्थगित रखा जाय। प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किसी प्रकार का प्रतिकार नहीं किया गया।

इस वाद के निष्पादन के क्रम में यह आश्चर्यजनक तथ्य प्रकाश में आई कि एक ही भूमि के लिये अल्पावधि में ही दोनों पक्षों के नाम से दाखिल खारिज स्वीकृत किया गया है। इस संदर्भ में उभय पक्षों द्वारा दाखिल खारिज वाद सं0 2577 आर 27/06–07, 2578 आर 27/06–07 एवं 2788 आर 27/06–07 से निर्गत सुद्धीपत्र

की छायाप्रति प्रस्तुत किया गया। अतः अलग से दोषी कर्मचारियों के विरूद्ध कार्रवाई करने का निदेश दिया जाता है।

चुंकि इसी भूमि के लिए उभय पक्षों के बीच टाईटल सूट व्यवहार न्यायालय में लंबित है अतः इस रिभिजनवाद को आगे जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है। टी0 एस0 वाद सं0 189/2008 के अंतिम फैसला तक स्थगित रखा जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

अपर समाहर्त्ता
राँची।

अपर समाहर्त्ता
राँची।



Digitally signed by RAJESH KUMAR BARWAR
Date: 2023.06.21 18:22:28 +05:30
Location: 192.168.2.175